

दिनांक : 25.08.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं। थाना गोपेश्वर से वाहन की नीलाम/विक्रय के सम्बन्ध में अस्पष्ट आख्या प्राप्त है। थानाध्यक्ष गोपेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वाहन की नीलाम/विक्रय के सम्बन्ध में सही आख्या पत्रावली में दाखिल करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश हेतु दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।